

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 293

प्रकरण क्रमांक– M-PRO-2024-02428

आवेदक : श्रीमती भानुश्री गुप्ता, पति-श्री राहुल शर्मा, पता-एल-2, टीचर्स कॉलोनी, पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कैम्पस, रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध श्री पंकज मूलचंद लोहाटी, द्वारा-वालफोर्ट प्रापर्टीज प्रा.लि., पता-204, 205, वालफोर्ट ओजोन, फाफाडीह चौक, रायपुर प्रोजेक्ट – “वालफोर्ट एलेन्सिया”, पता-सरोना, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/08/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– आवेदिका स्वतः उपस्थित।</p> <p>– अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना उपस्थित।</p> <p>उभय पक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र u/s-23, नियम-03 सी.पी.सी. अंतर्गत पेश कर उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौता करार संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्तुत कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने निवेदन किया गया।</p> <p>अतएव उभय पक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन के माध्यम से किये गये निवेदन पर प्रकरण निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेखागार दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	